ई. मेल :- dforudraprayag @gmail.com
फोन / फैक्स नं0 :- 01364 – 233505::
पता –: माई की मढ़ी निकट जवाडी बाईपास रूद्रप्रयाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

पत्रांक– 1468 / 12–1(2) दिनांक 06/11 /2025

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड,
पौड़ी।

विषय– **जनपद–रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत नव सिर्जित राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता (कुण्डादानकोट) के भवन निर्माण हेतु 0.99 है0 (पूर्व में 2.00 है0) वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता, रूद्रप्रयाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के संबंध में।**
PROPOSAL NO. - FP/UK/OTHERS/44711/2020

सन्दर्भ :– भारत सरकार की पत्र संख्या–IRO-DDN/FRCM/01/2022 दिनांक 01-10-2024 एवं नोडल अधिकारी देहरादून की पत्र संख्या–2658/12–1 दिनांक 29.04.2025 तथा आपकी पत्र संख्या–2159/12–1 दिनांक 05.06.2025।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में भारत सरकार एवं नोडल स्तर से वांछित सूचना प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलीटैक्निक चोपता, रूद्रप्रयाग ने उनके पत्रांक–469/भूमि ह0/2025–26 दिनांक 06.11.2025 के द्वारा निम्न प्रकार प्रेषित किया है, तथा जिसे प्रस्तावक विभाग द्वारा ऑनलाईन पार्ट–। के पैरा-L एवं additional information detail में ऑनलाईन अपलोड किया गया है।

आपत्ति	उत्तरालेख
प्रस्तावित संरेखण 0.99 अर्थात 1.00 हे0 के समतुल्य है, जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण संबधित विवरण प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। भारत सरकार द्वारा दिनांक 01.10.2024 को जारी कार्यवृत्त में बिन्दु सं0 02 के अनुसार 2.00 हे0 CA Scheme, KML file एवं Suitablity certificate परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जाना अपेक्षित है। जबकि प्रयोक्ता द्वारा 0.99 है0 वन भूमि पर काटे जाने वाले कुल 20 वृक्षों के 10 गुना अर्थात 200 वृक्षों की CA Scheme का विवरण संलग्न किया गया है। अतः तदनुसार बिन्दु सं0–02 का निराकरण करते हुए वर्तमान में प्रचलित संशोधित दरों के अनुसार CA Scheme अपलोड करते हुए इस कार्यालय को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।।	इस संबंध में संबंधित प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि–उक्त निर्देशों के अनुपालन में प्रश्नगत प्रकरण के एवज में 2.00 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण से सम्बन्धित वांछित विवरण/अभिलेख चयनित स्थल की के0एम0एल0, डिजिटल एवं टोपोशीट मानचित्र **(संलग्नक–1)** क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना/प्राक्कलन **(संलग्नक–2)**, उपयुक्तता प्रमाण पत्र **(संलग्नक–3)** तथा चयनित स्थल के राजस्व अभिलेख **(संलग्नक–4)**, आदि परिवेश पोर्टल के पार्ट–I के पैरा–L एवं additional information detail में ऑनलाईन अपलोड किया गया है। प्रभाग स्तर से संबंधित सूचना परिवेश पोर्टल के पार्ट–2 पैरा–13 में ऑनलाईन अपलोड करते हुये वांछित सूचना मूल सहित चार हार्ड प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार। (मूल सहित 04 प्रतियों में)

भवदीय,
(रजत सुमन)
उप वन संरक्षक,
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

संख्या– /दिनांकित।

प्रतिलिपि :– प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, देहरादून को उनके उक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलीटैक्निक चोपता, रूद्रप्रयाग को उनके उक्त पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(रजत सुमन)
उप वन संरक्षक,
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

कार्यालय –प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता, रुद्रप्रयाग

Email - gpchopta123@yahoo.com Mob- 7302287334

प्राप्त 06/11/2025

सेवा में,

उप वन संरक्षक
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग।

पत्रांक 469/भूमि ह0/2025–26

दिनांक 06 नवम्बर 2025

विषय : जनपद रूद्रप्रयाग की केदारनाथ विधान सभा के अन्तर्गत चोपता (तल्लानागपुर) में राजकीय पॉलीटेक्निक के भवन निर्माण हेतु (पूर्व में 02 है0) संशोधित 0.99 है0 राजस्व वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के संबंध में (Online Propsal N0.FP/UK/OTHER/44711/2020)

संदर्भः– भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून का पत्रांक–IRO-DDN/FRCM/01/2022 दिनांक 01–10–2024तथा कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण देहरादून की पत्र संख्या–2658/12–1 दिनांक 29.04.2025।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक प्रकरण के संबंध में 02 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण संबंधित सूचना निम्न प्रकार प्रेषित है–

क्र0 स0	आपत्ति/कमियाँ	निराकरण
1.	प्रस्तावित संरेखण 0.99 अर्थात 1.00 हे0 के समतुल्य है, जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण संबधित विवरण प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। भारत सरकार द्वारा दिनांक 01.10.2024 को जारी कार्यवृत्त में बिन्दु सं0 02 के अनुसार 2.00 हे0 CA Scheme, KML file एवं Suitablity certificate परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जाना अपेक्षित है। जबकि प्रयोक्ता द्वारा 0.99 है0 वन भूमि पर काटे जाने वाले कुल 20 वृक्षों के 10 गुना अर्थात 200 वृक्षों की CA Scheme का विवरण संलग्न किया गया है। अतः तद्नुसार बिन्दु सं0–02 का निराकरण करते हुए वर्तमान में प्रचलित संशोधित दरों के अनुसार CA Scheme अपलोड करते हुए इस कार्यालय को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	उक्त निर्देशों के अनुपालन में प्रश्नगत प्रकरण के एवज में 2.00 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण से सम्बन्धित वांछित विवरण/अभिलेख क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल की के0एम0एल0, डिजिटल एवं टोपोशीट मानचित्र **(संलग्नक–1)** क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना/प्राक्कलन **(संलग्नक–2)**,उपयुक्तता प्रमाण पत्र **(संलग्नक–3)** तथा चयनित स्थल के राजस्व अभिलेख **(संलग्नक–4)**, आदि परिवेश पोर्टल के पार्ट–I के पैरा–L पर ऑनलाईन अपलोड करते हुये वांछित सूचना मूल सहित चार हार्ड प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित है।

अतः उक्त सूचना आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित ।

संलग्नक–: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अनुराग नैथानी)
समन्वयक/प्रधानाचार्य
रा0पा0चोपता

वन क्षे0 अ0 का0 वा0,

प्र0 व0 अ0